# मतदान दल का प्रशिक्षण: ज़िला परिषद और पंचायत समिति (MPSV मशीन)

## पंचायती राज आम चुनाव 2026 · ज़िला बालोतरा

MPSV में दोनों पदों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट होती है और दो बैलेट यूनिट: एक ज़िला परिषद सदस्य की, एक पंचायत समिति सदस्य की। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]

पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटी से होंगे; उस दिन की बात इस डेक में नहीं है। [आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 1]

मतदान दल प्रशिक्षण: ज़िला परिषद और पंचायत समिति · स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश और पुस्तकें

**सावधान:** अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

# चार पद, दो मतदान दिवस

- इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3]
- हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से पड़ेंगे। सरपंच और वार्ड पंच के वोट मतपेटी से। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3]
- बालोतरा में मशीन ECIL की MPSV है। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3]
- MPSV में दोनों पदों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट होगी, और दो बैलेट यूनिट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में: पहले में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]

# रंग से पहचानिए

| पद | वोट किससे | रंग | किस चीज़ का रंग |
|---|---|---|---|
| ज़िला परिषद सदस्य | ईवीएम (MPSV) | पीला | बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र, बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग, कैरिंग बक्से का स्टीकर, कंट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के कवर का स्टीकर, मतदाता पर्ची |
| पंचायत समिति सदस्य | ईवीएम (MPSV) | नीला | बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र, बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग, कैरिंग बक्से का स्टीकर, कंट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के कवर का स्टीकर, मतदाता पर्ची |
| सरपंच | मतपेटी | सफेद | मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर |
| वार्ड पंच | मतपेटी | गुलाबी | मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2

- आयोग के पत्र 1299 (03.02.2026) के अनुसार MPSV की कंट्रोल यूनिट दोनों पदों के लिए काम आए, तो उस पर स्टीकर लगाने की ज़रूरत नहीं; सिर्फ़ एक पद के लिए काम आए, तो उस पर भी स्टीकर लगेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]

# बालोतरा में तारीखें

| काम | तीसरा चरण | चौथा चरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| मतदान दलों की रवानगी | 02.11.2026 (सोमवार) | 13.11.2026 (शुक्रवार) | आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9 |
| ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान (सुबह 7 से शाम 6 बजे) | 03.11.2026 (मंगलवार) | 14.11.2026 (शनिवार) | आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9 |
| पंच और सरपंच का मतदान (सुबह 7 से शाम 6 बजे), फिर वहीं गिनती | 05.11.2026 (गुरुवार) | 16.11.2026 (सोमवार) | आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9 |
| उपसरपंच का चुनाव | 06.11.2026 (शुक्रवार) | 17.11.2026 (मंगलवार) | आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9 |
| ज़िला परिषद और पंचायत समिति की गिनती, सुबह 8 बजे से, ज़िला मुख्यालय पर | 20.11.2026 (शुक्रवार) | 20.11.2026 (शुक्रवार) | आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9 |

- ज़िले की 11 पंचायत समितियों और 448 ग्राम पंचायतों में चुनाव दो चरणों में होगा। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12]
- तीसरा चरण: सिणधरी, गिडा, कल्याणपुर, गुडामालानी, धोरीमन्ना, समदड़ी। चौथा चरण: बालोतरा, पादरू, पायला कलां, पाटोदी, सिवाना। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12]
- बूथ: तीसरे चरण में 618, चौथे में 469, कुल 1087। आयोग के बजट आदेश 10144 में भी बालोतरा के 1087 बूथ लिखे हैं। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12; आदेश 10144, दि. 07.10.2026, पृ. 4]

# मतदान दल: दोनों दिन एक ही नाम

| नियम 31 और आदेश 5096 का नाम | बूथ पर काम | मतपेटी मार्गदर्शिका में (पंच + सरपंच वाला दिन) | ईवीएम मार्गदर्शिका में (ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाला दिन) |
|---|---|---|---|
| मतदान अधिकारी (Polling Officer) | बूथ का प्रभारी | मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) | पीठासीन अधिकारी |
| सहायक मतदान अधिकारी (Assistant Polling Officer) | दल के बाकी लोग | सहायक मतदान अधिकारी | मतदान अधिकारी |

स्रोत: आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिस अधिकारी को नामित करते हैं, वह हर बूथ के लिए मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त करता है। [आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120]
- आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए।

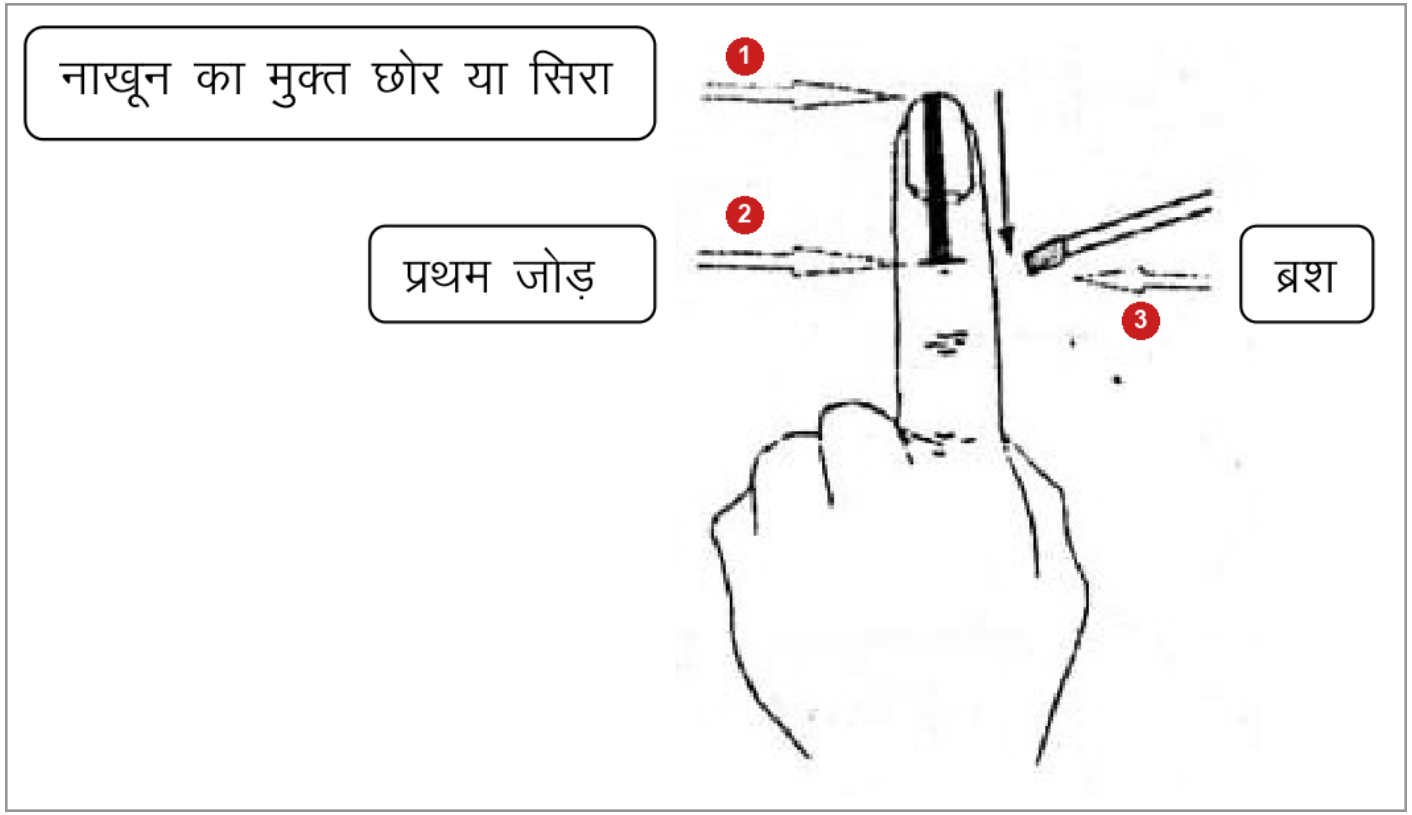
# स्याही लगाइए: कौन लगाता है, कौन जाँचता है

| दिन | स्याही कौन लगाता है | वोट से पहले निशान पूरा है, यह कौन देखता है |
|---|---|---|
| मशीन वाला दिन: ज़िला परिषद + पंचायत समिति (ईवीएम) | द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी | कंट्रोल यूनिट वाला सहायक मतदान अधिकारी, बैलेट बटन दबाने से पहले |
| मतपेटी वाला दिन: पंच + सरपंच | चौथा सहायक मतदान अधिकारी | वही चौथा सहायक मतदान अधिकारी, मतदाता के वोट डालने से पहले |

स्रोत: आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11

- मशीन वाले दिन हर मतदाता को बाएँ हाथ की तर्जनी पर; मतपेटी वाले दिन हर मतदाता को दाएँ हाथ की तर्जनी पर। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11]
- नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]

# आदेश 1408: स्याही कहाँ से कहाँ तक




मूल: आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. नाखून का आखिरी सिरा: स्याही यहाँ से। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]
2. अंगुली का पहला जोड़: स्याही इसके नीचे तक। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]
3. स्याही ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]

- हर चरण में पहले ज़िला परिषद + पंचायत समिति का मतदान होता है, और उसके दो दिन बाद पंच + सरपंच का। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- मशीन वाले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान अंगुली पर रहता है, इसलिए मतपेटी वाले दिन हर मतदाता की स्याही दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]

# स्याही लगाने का तरीका

- नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। [आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]
- आदेश 1408 ने स्याही वाला पुराना आदेश हटाकर यह तरीका दिया है। दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में यही आदेश लगा है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133; आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240]

# पुनर्मतदान हो, तो मध्यमा पर स्याही

| किसका पुनर्मतदान | स्याही किस अंगुली पर |
|---|---|
| जिन पदों का चुनाव पहले हुआ: ज़िला परिषद + पंचायत समिति (मशीन वाला दिन) | बाएँ हाथ की मध्यमा |
| जिन पदों का चुनाव बाद में हुआ: पंच + सरपंच (मतपेटी वाला दिन) | दाएँ हाथ की मध्यमा |

स्रोत: आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1

- आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान हो, तो यह आदेश 2235 की बात है। [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243]
- उसी आदेश का स्पष्टीकरण: जिस चुनाव में निशान बाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में बाएँ हाथ की मध्यमा पर; जिसमें दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में दाएँ हाथ की मध्यमा पर। [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243]

# अंगुली न हो, तो स्याही कहाँ लगाएँ

- जिस अंगुली पर स्याही लगनी है वह न हो, तो नियम 38 के स्पष्टीकरण के हिसाब से: [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243, 242]
- बाईं तर्जनी न हो: बाएँ हाथ की कोई और अंगुली। [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242]
- बाएँ हाथ की कोई अंगुली न हो: दाएँ हाथ की तर्जनी या कोई और अंगुली। [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242]
- दोनों हाथों की कोई अंगुली न हो: बाईं या दाईं बाँह का जो सिरा हो, उस पर। [आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242]

# मतदान का समय, और गिनती कब और कहाँ

- दोनों मतदान दिवसों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- पंच + सरपंच की गिनती: मतदान खत्म होते ही, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट हर चरण के बाद नहीं गिने जाएँगे। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9]
- इनकी गिनती 20.11.2026 को सुबह 8 बजे से, चारों चरणों की एक साथ, ज़िला मुख्यालय पर। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9]
- इसके लिए वोटिंग मशीन और दूसरे कागज़ात मतदान खत्म होते ही ज़िला मुख्यालय पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6]

# मतदाता किस क्रम से गुज़रता है

| कौन | क्या करता है | स्रोत |
|---|---|---|
| पहला सहायक मतदान अधिकारी | पहचान करता है, चिन्हित प्रति पर निशान लगाता है | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25 |
| दूसरा सहायक मतदान अधिकारी | बाईं तर्जनी पर स्याही, रजिस्टर में प्रविष्टि, हस्ताक्षर या अंगूठा, पीली-नीली पर्ची | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28 |
| तीसरा सहायक मतदान अधिकारी | पर्चियाँ लेता है, स्याही का निशान देखता है, कंट्रोल यूनिट का Ballot बटन दबाता है | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 30 |
| मतदान प्रकोष्ठ | पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद की बैलेट यूनिट, दूसरे में पंचायत समिति की | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29 |

# मतदान अधिकारी: नियुक्ति का आदेश मिलते ही

- आदेश में बूथ का नाम और नंबर, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, और बूथ की सही जगह देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110]
- अपने सहायक मतदान अधिकारियों से संपर्क कीजिए। उनका पता और मोबाइल नंबर रखिए, अपना दीजिए, हर एक को उसका काम बताइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110]
- दल से नज़दीकी बनाए रखिए। टीमवर्क न हो, तो काम और कठिन हो जाता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- रिटर्निंग अधिकारी से सारे आदेश लीजिए। बूथ की जगह और रास्ता (Route Map) पहले से जान लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10]
- जितने हो सकें, पूर्वाभ्यास और प्रशिक्षण में जाइए। अनुदेश बदलते रहते हैं, याद के भरोसे न रहिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110]
- किसी बात पर शंका हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछकर दूर कर लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110]

# पूर्वाभ्यास में हर काम ख़ुद करके देखिए

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी दल के एक सहायक मतदान अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं: आप न पहुँचें, तो वह आपका काम करे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13]
- पूर्वाभ्यास में उसे साथ ले जाइए। आप दोनों मशीन पर हर काम ख़ुद करके देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13]
- पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग और स्पेशल टैग लगाकर देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13]
- प्ररूप-14 में वोटों का लेखा और पेपर सील का लेखा, दोनों के नमूने भरकर देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13]
- डाक मतपत्र से वोट डालना हो, तो प्ररूप 1 में, नियुक्ति आदेश की दूसरी प्रति के साथ, तुरंत आवेदन कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 14]
- आवेदन मतदान से कम से कम सात दिन पहले, या रिटर्निंग अधिकारी जितना कम समय दें। [आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लिए प्ररूप 1 अलग-अलग, अपने-अपने रिटर्निंग अधिकारी को। [आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223]

# सामग्री लेते समय जाँचिए (मतदान से एक दिन पहले)

- सामग्री की सूची परिशिष्ट-5 में है। बूथ के लिए निकलने से पहले जाँचिए कि सब मिल गया। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 14]
- सबसे ज़रूरी: मशीन, निविदत्त मतपत्र, रजिस्टर (प्ररूप-12), नामावली की चिन्हित और बाकी प्रतियाँ। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10]
- साथ में पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, सारे प्ररूप और लिफ़ाफ़े, चपड़ी, अमिट स्याही। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10]
- दोनों रंग की मतदाता पर्चियाँ, और दोनों तरह के एड्रेस टैग और स्पेशल टैग ख़ास तौर पर जाँचिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- एड्रेस टैग पर आपके बूथ का नंबर और नाम हो। बैलेट यूनिट का मतपत्र आपके चुनाव और आपके बूथ का हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 14]
- कुछ भी गड़बड़ मिले, तो उसी समय प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को बताइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]

# काग़ज़ और स्याही भी जाँचिए

- स्याही की शीशी में काफ़ी स्याही हो, स्टैम्प पैड सूखे न हों। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]
- नामावली की तीनों प्रतियाँ पूरी और एक जैसी हों। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]
- निविदत्त मतपत्र आपके ही निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड के हों, और उनके क्रमांक दिए ब्यौरे से मिलें। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]
- चिन्हित प्रति में PB (Postal Ballot) के सिवा कोई निशान न हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- हटाए गए नाम सब प्रतियों में मिले हों। छपी क्रम संख्या काटकर नई न लिखी गई हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- दोनों पदों के उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर-नमूनों (प्ररूप-8) की फोटो प्रति लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]

# बूथ पर पहुँचकर, मतदान से पहले

- मतदान के तय समय से कम से कम एक घंटा पहले बूथ पर पहुँचिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- बूथ नियम 30 (परिशिष्ट-4) के हिसाब से लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]
- जहाँ तक हो सके, मॉडल ले-आउट से लगाइए; आने और जाने के रास्ते अलग रखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र का नोटिस और उम्मीदवारों की सूची लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]
- चिन्हित प्रति और रजिस्टर अभिकर्ताओं को दिखाइए। दोनों चुनाव साथ हों, तो एक ही रजिस्टर और एक ही चिन्हित सूची। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11]
- घोषणा (परिशिष्ट-7) पढ़िए, अभिकर्ताओं के और अपने हस्ताक्षर कीजिए। दोनों चुनावों की घोषणा अलग-अलग। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112]

# पहला सहायक मतदान अधिकारी: पहचान कीजिए

- चिन्हित मतदाता सूची आपके पास रहेगी। मतदाता की पहचान आपकी ज़िम्मेदारी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- पहचान आयोग के तय फोटो दस्तावेज़ों से कीजिए (सूची आगे है)। बाईं तर्जनी पर स्याही का निशान तो नहीं, यह भी देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- हटाए गए नामों पर "Deleted" लिखा होगा। इससे बाकी मतदाताओं की छपी क्रम संख्या नहीं बदलती। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- पहचान होते ही ब्यौरा ज़ोर से बोलिए, ताकि दूसरा सहायक मतदान अधिकारी और अभिकर्ता सुन लें। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- अभिकर्ता को पहचान पर आपत्ति करनी हो, तो इसी समय कर सकता है, बाद में नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- पहचान पर्ची न हो, तब भी नाम ढूँढना आपका काम है। मतदाता को वापस न भेजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]

# पहचान के दस्तावेज़

- मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90]
- EPIC न दिखा सके, तो आगे के 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1; आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2]
- इनमें से किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2]
- परिवार के मुखिया को जारी EPIC या इनमें से किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2]
- कोई मतदाता झूठे या जाली पहचान पत्र से, या किसी और मतदाता का प्रतिरूपण करके वोट डालने की कोशिश करे, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 में कार्यवाही की जाए। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2]
- प्रतिरूपण के अपराध की सज़ा भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 में है: एक साल तक की किसी भी तरह की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 3]

# EPIC न हो, तो इनमें से कोई एक मूल दस्तावेज़

| क्रम | दस्तावेज़ (आयोग का आदेश 5310) |
|---|---|
| 1 | आधार कार्ड |
| 2 | विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड |
| 3 | बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक |
| 4 | श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड |
| 5 | ड्राइविंग लाइसेन्स |
| 6 | पैन कार्ड |
| 7 | भारतीय पासपोर्ट |
| 8 | फोटो वाला पेंशन दस्तावेज़ |
| 9 | केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो वाला सेवा पहचान पत्र |
| 10 | सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र |
| 11 | यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार |

स्रोत: आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2

# पहला सहायक मतदान अधिकारी: चिन्हित प्रति पर निशान लगाइए

- नाम के नीचे लाइन खींचिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- महिला मतदाता: नाम के बाईं ओर टिक (√)। थर्ड जेंडर मतदाता: नाम के बाईं ओर स्टार (*)। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- दृष्टिबाधित या दिव्यांग को मदद चाहिए: क्रम संख्या पर "AA", और कारण रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 में। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- पहचान भारत निर्वाचन आयोग के फोटो पहचान पत्र से: 'E'। किसी और दस्तावेज़ से: 'D'। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- पहचान पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न छापना क़ानूनी अपराध है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- पहचान हो जाए, तो पर्ची फाड़कर कूड़ेदान में डालिए, फ़र्श पर न फेंकिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]

# दूसरा सहायक मतदान अधिकारी: स्याही लगाइए

- आप मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही के प्रभारी हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- आपके पास: स्याही की शीशी, रजिस्टर, कार्यकारी प्रति, बॉल पेन, स्टैम्प पैड, गीला कपड़ा, पीली और नीली पर्चियाँ। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- पहला अधिकारी वार्ड नंबर और क्रम संख्या बोले, उसी समय बाईं तर्जनी देखिए। फिर स्याही लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]
- बाईं तर्जनी पर पहले से निशान हो, तो वह वोट दे चुका माना जाएगा। उसे वोट नहीं देने दिया जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- स्याही लगवाए बिना भी किसी को वोट नहीं देने दिया जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27]

# दूसरा सहायक मतदान अधिकारी: रजिस्टर भरिए, पर्ची दीजिए

- रजिस्टर (प्ररूप-12), कॉलम 1: क्रम संख्या 1 से लगातार; हर पन्ने पर 15। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- कॉलम 2: वार्ड नंबर और नामावली की क्रम संख्या, जैसे 1/518। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- कॉलम 4 (अभियुक्तियाँ): पहचान दस्तावेज़ के नंबर के आख़िरी चार अंक; नंबर छोटा हो, तो पूरा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28]
- कॉलम 3: हस्ताक्षर या अंगूठा। अंगूठा भी न दे, तो उसे वोट नहीं देने दिया जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28]
- बाएँ अंगूठे का निशान प्रमाणित नहीं करना है। निशान साफ़ हो; बाद में स्याही गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28]
- पर्ची (परिशिष्ट-13): ज़िला परिषद की पीली, पंचायत समिति की नीली। फिर मतदाता को तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28]

# तीसरा सहायक मतदान अधिकारी: कंट्रोल यूनिट सँभालिए

- दोनों चुनावों की कंट्रोल यूनिट के प्रभारी आप ही हैं। मतदान अधिकारी के पास बैठिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- पीली और नीली, दोनों पर्चियाँ मिलें, तभी अंदर जाने दीजिए। पहले देखिए कि स्याही का निशान साफ़ है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- जिस क्रम में पर्चियाँ बनीं, उसी क्रम में भेजिए। क्रम टूटे, तो रजिस्टर के कॉलम (4) में टिप्पणी कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- पर्चियाँ रंग के हिसाब से अलग रखिए। आख़िर में पीली PE-45 में, नीली PE-44 में रखकर सील कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- कक्ष में एक बार में एक ही मतदाता। पहला बाहर न आए, तब तक Ballot बटन न दबाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 30]
- मतदान के बीच कभी भी Total बटन दबाकर देख सकते हैं कि अब तक कितने वोट पड़े, और रजिस्टर से मिला सकते हैं। पर Total बटन तभी दबाइए, जब Busy बत्ती न जल रही हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 30]

# एक नज़र में: मशीन वाला पूरा दिन

1. **मशीन लेते समय जाँचिए**: सीलें सुरक्षित, नंबर मिलता हो, एक कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट का सैट। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]

2. **मशीन जोड़िए**: पहली बैलेट यूनिट ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरी पंचायत समिति सदस्य की; स्लाइड स्विच देख लीजिए, और यह भी कि हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33; आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1]

3. **मॉक पोल**: CLEAR से शून्य, अभिकर्ताओं के वोट, Close, RESULT-I, मिलान, फिर CLEAR। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37–38]

4. **मॉक पोल के बाद सील**: पिंक पेपर सील, विशेष टैग, बाहर का ढक्कन, फिर ABCD स्ट्रिप सील। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41]

5. **मतदान**: पीली और नीली पर्ची, BALLOT बटन, दोनों बैलेट यूनिट पर वोट; पहले या दूसरे वोट के बाद TOTAL से गिनती जाँचिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]

6. **मतदान बंद**: Close, प्ररूप-14 में लेखा, फिर मशीन सील। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

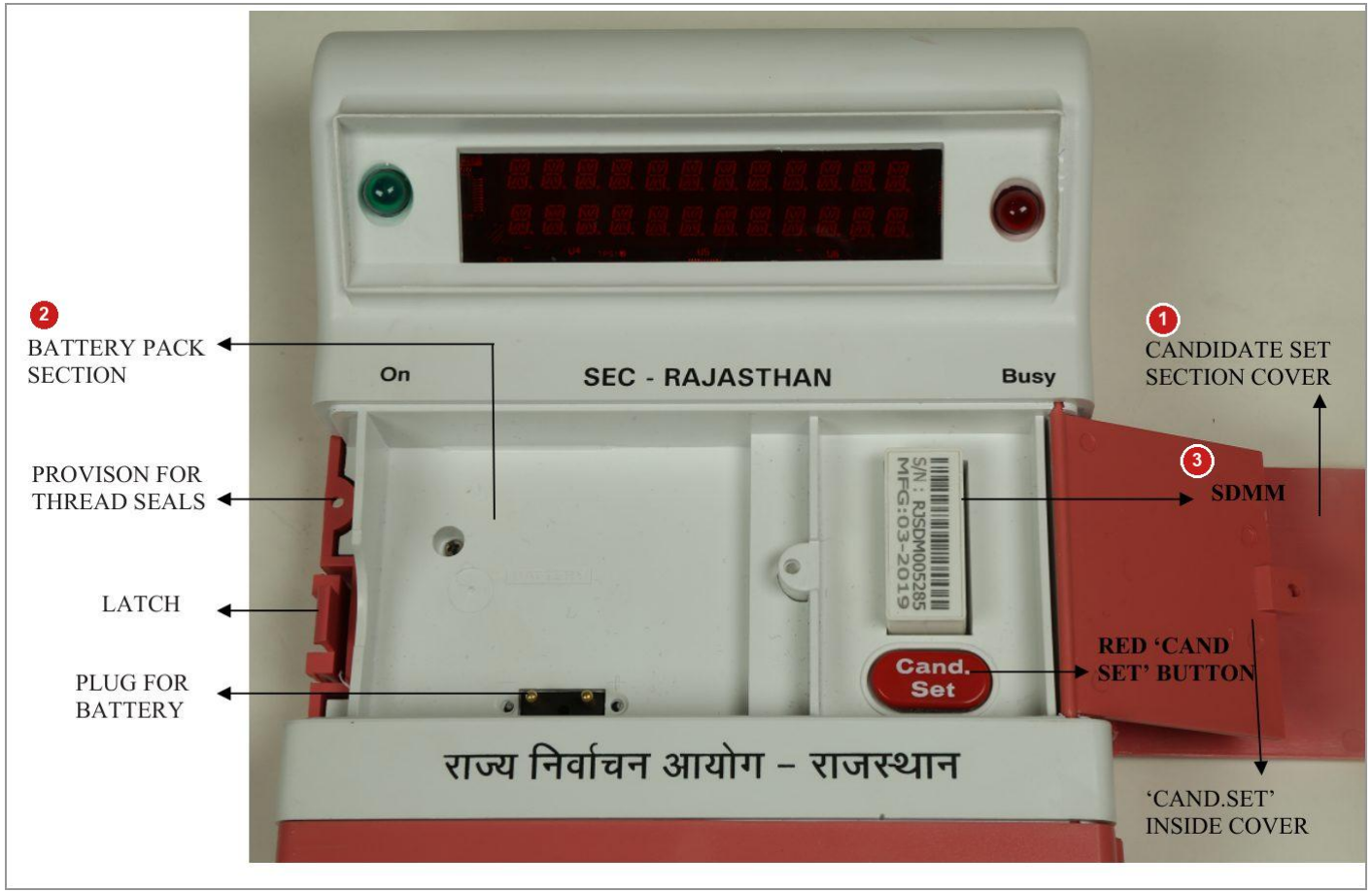
7. **जमा**: लिफ़ाफ़े भरकर संग्रहण स्थल पर, रसीद लेकर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]

चित्र "एक नज़र में: मशीन वाला पूरा दिन", पेज "MPSV मशीन से मतदान, क़दम-दर-क़दम" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# मशीन लेते समय जाँचिए

- मशीन लेते समय प्राप्ति के हस्ताक्षर होंगे। पक्का कीजिए कि मशीनों पर लगी सब सीलें सुरक्षित हैं। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315]
- मशीन का नंबर पीछे के स्टीकर, मतपत्र और एड्रेस टैग पर लिखे अंकन से मिलाइए। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315]
- सैट में केवल एक कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट होंगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]
- कंट्रोल यूनिट का कैण्डसेट सैक्शन ठीक से मुहरबंद हो, और उसका एड्रेस टैग मज़बूती से जुड़ा हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]
- बैटरी: पीछे के कक्ष का पावर स्विच ऑन और ऑफ़ करके देखिए कि वह पूरी तरह काम लायक है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]
- बैलेट यूनिट ज़रूरी संख्या में हों, और हर यूनिट की स्क्रीन के अंदर मतपत्र ठीक से लगा हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]

# कैण्डसेट सैक्शन: यहाँ क्या देखना है




मूल: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 10 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. CANDIDATE SET SECTION COVER: कैण्डसेट सैक्शन ठीक से मुहरबंद हो और उसके साथ एड्रेस टैग मज़बूती से जुड़ा हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]

2. BATTERY PACK SECTION: बैटरी पूरी तरह काम लायक हो। इसके लिए पीछे के कक्ष का पावर स्विच ऑन और ऑफ़ करके देख लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]

3. SDMM: मतदान के दौरान ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, दोनों के वोटों का डाटा इसी में जमा होता है। [आदेश 710, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 354]

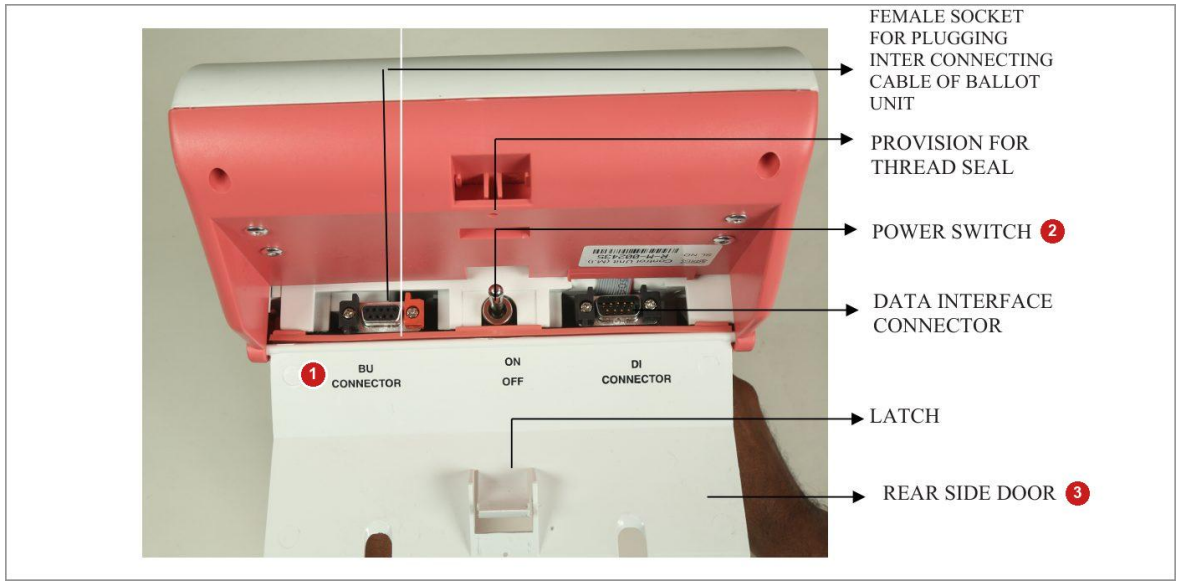
# मशीन जोड़ने से पहले देख लीजिए

- सारी तैयारी उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं के सामने, पूरी पारदर्शिता से कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- बैलेट यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर पहले से तैयार होकर आती हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- बैलेट पेपर, बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- रिटर्निंग अधिकारी के दोनों एड्रेस टैग (ऊपर और नीचे, दाहिनी तरफ़) सही जगह पर हों। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- रिटर्निंग अधिकारी की मुहर उम्मीदवार खंड (Candidate Section) के बाईं ओर सही जगह पर हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

# केबल लगाइए

- इंटरकनेक्टिंग केबल कंट्रोल यूनिट में लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- कंट्रोल यूनिट का पीछे का ढक्कन खोलिए। फ़ीमेल कनेक्टर में बैलेट यूनिट का मेल कनेक्टर लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- दूसरी बैलेट यूनिट की केबल पहली बैलेट यूनिट के पीछे वाले कनेक्टर में जोड़िए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- ज़्यादा बैलेट यूनिट हों, तो उन्हें भी इसी तरह जोड़िए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- पहली बैलेट यूनिट ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरी पंचायत समिति सदस्य की। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

# कंट्रोल यूनिट का पीछे का कक्ष




मूल: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 12 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. BU CONNECTOR: कंट्रोल यूनिट के पिछले हिस्से का फ़ीमेल कनेक्टर; इसमें बैलेट यूनिट का मेल कनेक्टर लगता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

2. POWER SWITCH: मशीन लेते समय इसे ऑन और ऑफ़ करके बैटरी देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]
   - मॉक पोल से पहले इसी से मशीन ON। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]

3. REAR SIDE DOOR: पीछे का ढक्कन: इसे खोलकर ही कनेक्टर लगाया जाता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

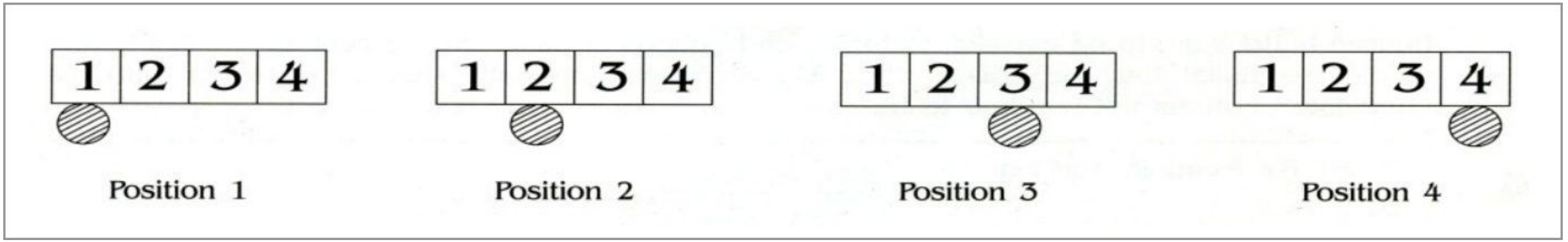
# स्लाइड स्विच किस नंबर पर

| उम्मीदवार | स्लाइड स्विच |
|---|---|
| 15 तक | पहली बैलेट यूनिट का स्विच 1 पर, दूसरी का 2 पर |
| किसी पद के 16 से 30 तक | उस पद के लिए एक और बैलेट यूनिट; स्विच उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से 3 या 4 पर |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33

- उम्मीदवारों की गिनती नोटा मिलाकर है: किसी पद के 15 उम्मीदवार हों, तो नोटा मिलाकर 16, और उस पद की दूसरी बैलेट यूनिट लगेगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; आदेश 49, दि. 01.01.2026, संकलन पृ. 282]
- स्लाइड स्विच पैनल पर ऊपर और दाईं ओर है। उसकी स्थिति पारदर्शी पैनल से दिख जाती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]

# स्लाइड स्विच की चार स्थितियाँ




मूल: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 25 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- बैलेट यूनिट का स्लाइड स्विच: स्थितियाँ 1, 2, 3 और 4। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 25]
- 15 तक उम्मीदवार: पहली बैलेट यूनिट का स्विच 1 पर, दूसरी का 2 पर। किसी पद के 16 से 30 तक: उस पद के लिए एक और बैलेट यूनिट; स्विच उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से 3 या 4 पर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- उम्मीदवारों की यह गिनती नोटा को मिलाकर है। यानी किसी पद के 15 उम्मीदवार हों, तो नोटा मिलाकर 16 हो जाते हैं, और उस पद के लिए दूसरी बैलेट यूनिट लगेगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; आदेश 49, दि. 01.01.2026, संकलन पृ. 282]

# END बटन देखिए, परिणाम अनुभाग खोलना सीखिए

- हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क (Mask) रहेगा, चाहे दोनों पदों का चुनाव एक साथ हो या एक ही पद का। रवाना होने से पहले यह देख लीजिए। यह आयोग के आदेश 9508 (28.09.2026) का नियम है; MPSV के लिए आदेश 5468 (04.08.2026) में भी यही लिखा था। [आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1; आदेश 5468, दि. 04.08.2026, पृ. 1]
- परिणाम अनुभाग (Result Section): बाईं तरफ़ की कुंडी (Latch) थोड़ा अंदर दबाकर खोलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]
- अंदर का दरवाज़ा (RESULT-I और RESULT-II के ऊपर): दो छेदों में अंगूठा और एक उंगली डालकर खोलिए, ज़ोर लगाकर नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

# दोहराइए: मशीन जोड़ना (1/2)

1. सारी तैयारी उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं के सामने, पूरी पारदर्शिता से। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

2. **देख लीजिए**: बैलेट पेपर ठीक से लगा, दोनों एड्रेस टैग सही जगह, रिटर्निंग अधिकारी की मुहर सही जगह। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

3. **कंट्रोल यूनिट से जोड़िए**: पीछे का ढक्कन खोलकर फ़ीमेल कनेक्टर में बैलेट यूनिट का मेल कनेक्टर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

4. **क्रम**: पहली बैलेट यूनिट ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरी पंचायत समिति सदस्य की; दूसरी की केबल पहली के पीछे वाले कनेक्टर में। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

चित्र "दोहराइए: मशीन जोड़ना", पेज "मशीन जोड़िए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# दोहराइए: मशीन जोड़ना (2/2)

5 **स्लाइड स्विच**: 15 उम्मीदवार तक पहली का 1 पर, दूसरी का 2 पर; किसी पद के 16 से 30 तक उस पद की एक और बैलेट यूनिट, स्विच 3 या 4 पर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33] उम्मीदवारों की यह गिनती नोटा को मिलाकर है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; आदेश 49, दि. 01.01.2026, संकलन पृ. 282]

6 **END बटन**: हर बैलेट यूनिट का मास्क, चाहे दोनों पदों का चुनाव हो या एक का; रवाना होने से पहले देख लीजिए। [आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1; आदेश 5468, दि. 04.08.2026, पृ. 1]

7 **परिणाम अनुभाग**: बाईं तरफ़ की कुंडी थोड़ा अंदर दबाकर खोलिए; अंदर का दरवाज़ा ज़ोर लगाकर नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

चित्र "दोहराइए: मशीन जोड़ना", पेज "मशीन जोड़िए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# मॉक पोल: मशीन चालू कीजिए, शून्य दिखाइए

- मतदान शुरू होने से पहले, मतदान अभिकर्ताओं या दल के सदस्यों के सामने मॉक पोल करना ज़रूरी है। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]
- कंट्रोल यूनिट का पीछे का ढक्कन खोलकर स्विच ON कीजिए: बीप होगी, ON लैम्प पर हरी बत्ती जलेगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- शुरू का प्रदर्शन पूरा होने तक रुकिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- CLEAR दबाइए: सब काउंट शून्य होते हैं। बीप के साथ लगभग 25 सेकंड चलता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- शून्य की जगह Invalid operation आए, तो CRC (Close, Result-1, Clear) फिर से पूरा कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- शून्य वाला डिस्प्ले अभिकर्ताओं को दिखाइए, ताकि वे देख लें कि मशीन में पहले से कोई वोट नहीं है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]

# मॉक पोल के वोट डलवाइए

- मॉक पोल में वोट उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता डालेंगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- हर भाग लेने वाले का नाम मॉक पोल प्रमाण-पत्र में लिखिए। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]
- उसे पर्ची दीजिए: ज़िला परिषद सदस्य के लिए पीली, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]
- मतदान अधिकारी दोनों पर्चियाँ अलग-अलग रखेगा, फिर उसे वोट डालने देगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]
- BALLOT बटन दबाइए: कंट्रोल यूनिट पर लाल Busy लैम्प, दोनों बैलेट यूनिट पर हरी बत्ती। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]
- उसने दोनों पदों में किसे वोट दिया, उसकी क्रम संख्या प्रमाण-पत्र में लिखिए; उसके हस्ताक्षर लीजिए। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]

# बटन दबाने पर मशीन क्या करती है

| मतदाता क्या करता है | मशीन क्या करती है |
|---|---|
| पहली बैलेट यूनिट पर उम्मीदवार का बटन | उस उम्मीदवार का तीर लैम्प लाल, छोटी बीप |
| दूसरी बैलेट यूनिट पर उम्मीदवार का बटन | तीर लैम्प लाल, लम्बी बीप |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35

- वोट पूरा: Ready हरी बत्ती, उम्मीदवार की लाल बत्ती और बीप एक साथ बंद। कुछ सेकंड बाद लाल Busy बत्ती भी बंद। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]
- मतदाता एक वोट ज़िला परिषद सदस्य के लिए और एक पंचायत समिति सदस्य के लिए डालता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]

# मॉक पोल में ये ध्यान रखिए

- यही तरीका हर भाग लेने वाले के लिए दोहराइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35; आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]
- समय हो, तो ज़्यादा या कम मतदाताओं के वोट डलवाने में कोई आपत्ति नहीं है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]
- हर उम्मीदवार को बराबर वोट मिलें, यह ज़रूरी नहीं है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]
- नोटा समेत हर उम्मीदवार को मॉक पोल में कम से कम 1-1 वोट देना ज़रूरी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]

# Close, RESULT-I और मिलान कीजिए

- मॉक पोल के अंत में Close बटन दबाइए। डिस्प्ले क्रम से जानकारी दिखाएगा, आख़िर में POLL CLOSED। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]
- फिर RESULT-I बटन दबाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]
- दोनों पदों का परिणाम परिशिष्ट-19 के अनुसार अलग-अलग बनाए लेखे से मिलाइए; उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को संतुष्ट कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37]
- पक्का कीजिए कि दोनों नतीजों में कोई फ़र्क़ न हो। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]
- फ़र्क़ निकले, तो तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को बताइए और उनके निर्देश के अनुसार काम कीजिए। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279]
- मार्गदर्शिका के उदाहरण में Close का क्रम: CLOSING, तारीख़ (DTE) और समय (TME), RJSCU और RJSDM से शुरू होने वाले दो नंबर, NUMBER OF POSTS 2, TOTAL VOTERS, आख़िर में POLL CLOSED। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]

# मॉक पोल के वोट CLEAR करना न भूलिए

- CLEAR दबाइए: कुल मतदाताओं की संख्या और हर पद के हर उम्मीदवार के वोट 0 हो जाते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37–38]
- डिस्प्ले पर END दिखे, तो कंट्रोल यूनिट बंद कर दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- मार्गदर्शिका इसे चेतावनी के रूप में लिखती है: मॉक पोल के वोट CLEAR करना न भूलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

# हर पद का मॉक पोल प्रमाण-पत्र अलग

| पद | प्रमाण-पत्र किसके साथ | लिफ़ाफ़ा |
|---|---|---|
| ज़िला परिषद सदस्य | मतदान अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट-7) के साथ | PE-56 |
| पंचायत समिति सदस्य | मतदान अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट-7) के साथ | PE-55 |

स्रोत: आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279, 280; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38

- ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के मॉक पोल प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19) अलग-अलग बनेंगे। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 280; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]
- मतदान अधिकारी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279]
- अपनी डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु 25 में मॉक पोल का ब्योरा और जारी प्रमाण-पत्र लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

# दोहराइए: मॉक पोल (1/2)

1. **कब, किसके सामने**: मतदान शुरू होने से पहले, मतदान अभिकर्ताओं या मतदान दल के सदस्यों के सामने। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]

2. **ON**, शुरू का प्रदर्शन पूरा होने तक रुकिए, फिर **CLEAR**: सब काउंट शून्य। यह डिस्प्ले अभिकर्ताओं को दिखाइए; Invalid operation आए तो CRC (Close, Result-1, Clear) फिर से। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34]

3. **हर भाग लेने वाला**: नाम प्रमाण-पत्र में, पीली और नीली पर्ची [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34], BALLOT बटन [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35], फिर किसे वोट दिया उसकी क्रम संख्या और उसके हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र में। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278]

4. नोटा समेत हर उम्मीदवार को कम से कम 1-1 वोट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]

चित्र "दोहराइए: मॉक पोल", पेज "मॉक पोल: दोनों पदों का" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# दोहराइए: मॉक पोल (2/2)

**5** **Close**, फिर **RESULT-I**। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]

**?** **दोनों पदों का परिणाम, परिशिष्ट-19 के अनुसार अलग-अलग बनाए लेखे से मेल खाता है?** [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37]

**हाँ** उम्मीदवारों और मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37]

**नहीं, फ़र्क़ है** तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को बताइए, उनके निर्देश के अनुसार काम कीजिए। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279]

**6** **CLEAR** से मॉक पोल के वोट साफ़, सब 0; यह न भूलिए। डिस्प्ले पर END दिखे, तो कंट्रोल यूनिट बंद। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37–38; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

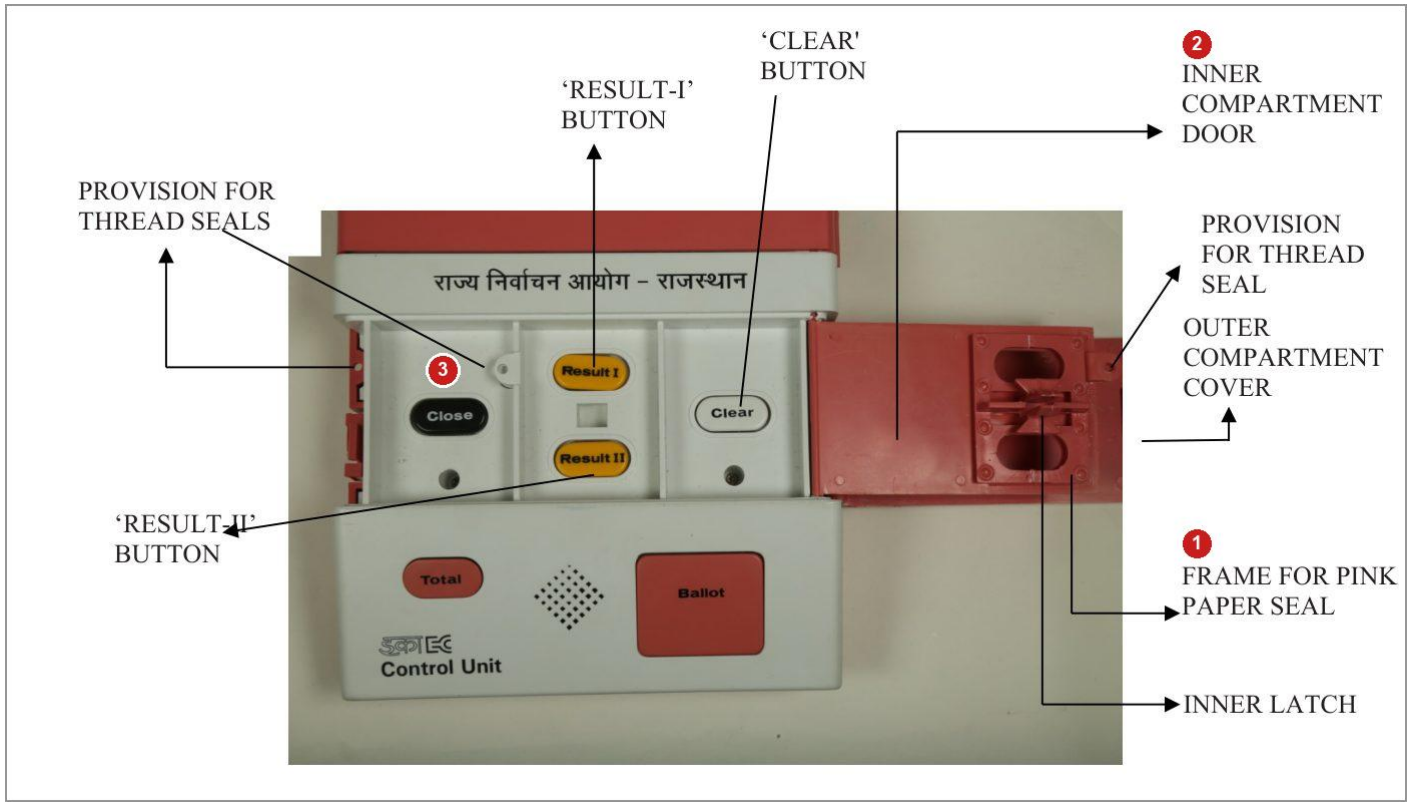
**7** **प्रमाण-पत्र** हर पद का अलग (परिशिष्ट-19): ज़िला परिषद सदस्य का PE-56 में, पंचायत समिति सदस्य का PE-55 में, घोषणाओं (परिशिष्ट-7) के साथ। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 280; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35; आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

चित्र "दोहराइए: मॉक पोल", पेज "मॉक पोल: दोनों पदों का" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# पिंक पेपर सील लगाइए

- परिणाम अनुभाग सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट स्विच ऑफ़ करना न भूलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- पिंक पेपर सील सुरक्षा काग़ज़ पर छपी, क्रमांकित होती है। इसे अंदर वाले खंड के दरवाज़े के भीतर, फ़्रेम में लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- पिंक सतह पीछे की तरफ़ से दिखे, सफ़ेद सतह बाहर वाले छेद से। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- अंदर का दरवाज़ा बंद कीजिए: सील के खुले सिरे बाहर रहें, ऊपर का सिरा मोड़ने पर क्रमांक साफ़ दिखे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- पिंक सतह पर, सीरियल नंबर के नीचे आपके पूरे हस्ताक्षर; मौजूद इच्छुक उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के भी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- सील का क्रमांक ख़ुद नोट कीजिए, और अभिकर्ताओं को भी नोट कराइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

# परिणाम खंड: पिंक सील का फ़्रेम कहाँ है




मूल: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 11 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. FRAME FOR PINK PAPER SEAL: पिंक पेपर सील अंदर वाले खंड के दरवाज़े के भीतर की तरफ़, इसी फ़्रेम में तय जगह पर लगती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

2. INNER COMPARTMENT DOOR: सील लगाकर यह दरवाज़ा ऐसे बंद कीजिए कि सील के खुले सिरे दरवाज़े से बाहर निकले रहें। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

3. Close: सील करने के बाद विशेष टैग इस CLOSE बटन के पास ऐसे रखिए कि बटन आसानी से दबाया जा सके। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]

# फ़्रेम में लगी पिंक पेपर सील




मूल: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. पिंक पेपर सील लगाना: अंदर वाला दरवाज़ा खुला है, सील उसके फ़्रेम में लगी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
2. अंदर वाला दरवाज़ा बंद: पिंक पेपर सील के दोनों सिरे बाहर निकले रहते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]

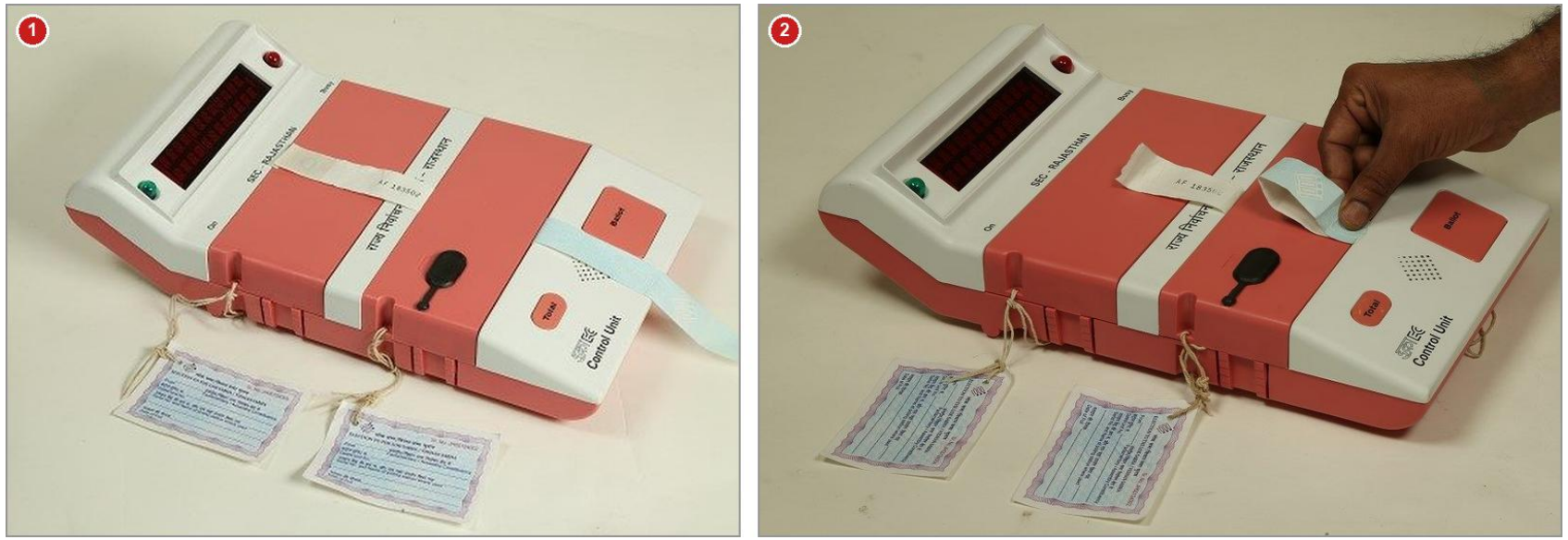
# विशेष टैग लगाइए

- सीलिंग से पहले विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखिए; मतदान अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- मौजूद उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, तो वे भी टैग पर हस्ताक्षर कर सकते हैं; उन्हें अनुमति दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- दरवाज़े के दो छेदों और टैग के छेद से हरा ट्वाइन धागा निकालिए, गाँठ बाँधिए, चपड़ी (लाख) से सील कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
- ख़राब या टूटा विशेष टैग किसी भी हालत में न लीजिए। सीलिंग में टैग ख़राब हो, तो दूसरा लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- सील के बाद विशेष टैग CLOSE बटन के पास ऐसे रखिए कि CLOSE बटन आसानी से दबाया जा सके। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]

# बाहर का ढक्कन बंद कीजिए, स्ट्रिप सील तैयार कीजिए

- RESULT SECTION का बाहर का ढक्कन दबाकर बंद कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- बाईं तरफ़ के दो छेदों से धागा निकालकर सील कीजिए; मतदान अधिकारी की मुहर के साथ एड्रेस टैग नत्थी कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- पिंक सील और ABCD हिस्से चिपकाने के लिए ख़ुद चिपकने वाली ABCD लंबी पट्टी (स्ट्रिप सील) लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40]
- लगाने से पहले पट्टी के क्रमांक के नीचे मतदान अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर; इच्छुक अभिकर्ताओं के भी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40]

# सील किया हुआ परिणाम खंड




मूल: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

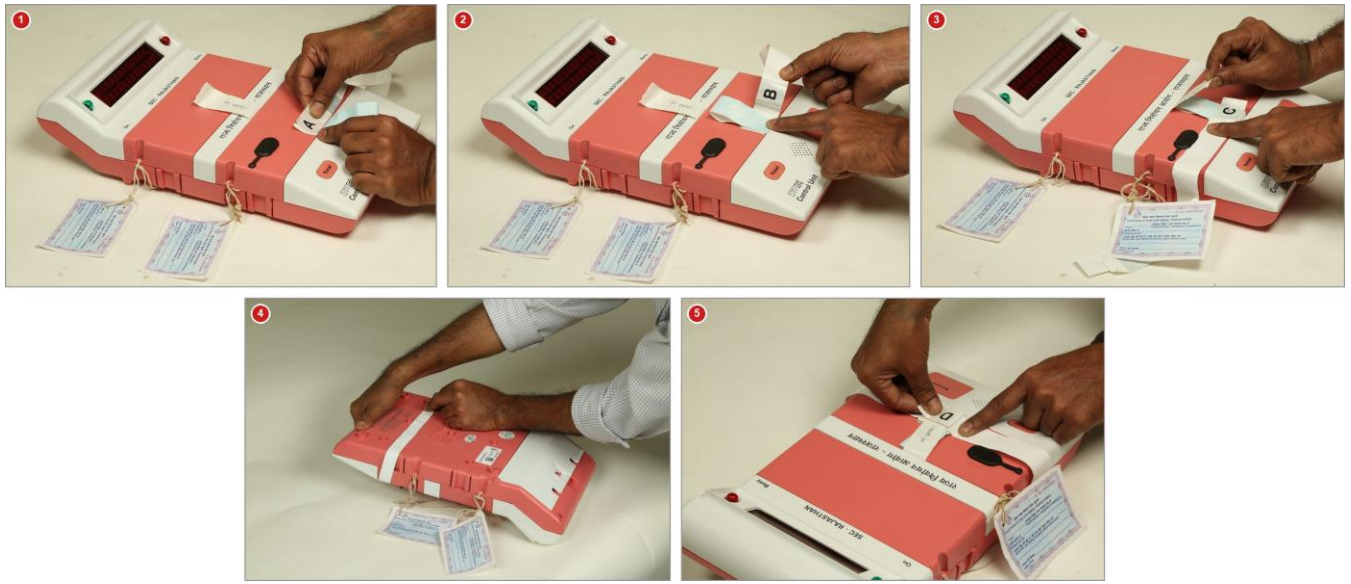
1. परिणाम खंड सील किया हुआ: बाहर का ढक्कन बंद, धागे से एड्रेस टैग बँधे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40]
2. पिंक पेपर सील का बाहर निकला सिरा मोड़ना। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40]

# स्ट्रिप सील: A, B, C, D

| हिस्सा | क्या करें |
|---|---|
| A | पिंक सील के निचले हिस्से के पास रखिए। A का वैक्स पेपर हटाकर पिंक सील का निचला सिरा मोड़िए, A पर चिपकाइए। |
| B | B का वैक्स पेपर हटाइए; बाईं ओर मोड़ते हुए मुड़ी हुई पिंक सील के ऊपर चिपकाइए। |
| C | C ऊपर आ जाएगा। वैक्स पेपर हटाइए, पिंक सील का ऊपरी सिरा मोड़कर C पर चिपकाइए। |
| पट्टी घुमाइए | बाईं ओर से, Close बटन की रबर या प्लास्टिक कैप के नीचे से लीजिए; दूसरा सिरा दाईं ओर से घुमाकर ऊपर लाइए। |
| D | D का वैक्स पेपर हटाकर पिंक सील के ऊपर ऐसे चिपकाइए कि सीरियल नंबर साफ़ दिखे। |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43

# स्ट्रिप सील, मार्गदर्शिका की फ़ोटो में



मूल: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. हिस्सा A, पिंक सील के निचले सिरे के पास। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41]
2. हिस्सा B, बाईं ओर मोड़कर पिंक सील के ऊपर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41]
3. हिस्सा C पर पिंक सील का ऊपरी सिरा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42]
4. पट्टी कंट्रोल यूनिट के नीचे से घुमाकर ऊपर लाना। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42]
5. हिस्सा D पिंक सील के ऊपर, सीरियल नंबर दिखता रहे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]

# दोहराइए: मॉक पोल के बाद सील

1. परिणाम अनुभाग सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट **स्विच ऑफ़**। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
2. **पिंक पेपर सील** अंदर वाले खंड के दरवाज़े के भीतर, फ़्रेम में; पिंक सतह पीछे से, सफ़ेद सतह बाहर वाले छेद से दिखे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
3. अंदर का दरवाज़ा बंद, सील के सिरे बाहर; सीरियल नंबर के नीचे हस्ताक्षर, क्रमांक नोट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]
4. **विशेष टैग** पर कंट्रोल यूनिट का क्रमांक और हस्ताक्षर [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]; दरवाज़े के दो छेदों और टैग से हरा ट्वाइन धागा, गाँठ, चपड़ी [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]; टैग CLOSE बटन के पास। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
5. **बाहर का ढक्कन** बंद; बाईं तरफ़ के दो छेदों से धागा, मुहर के साथ एड्रेस टैग। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
6. **स्ट्रिप सील**: लगाने से पहले उसके क्रमांक के नीचे मतदान अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40]
7. **A, B, C**: पिंक सील का निचला सिरा मोड़कर A पर, B बाईं ओर मोड़कर मुड़ी हुई सील के ऊपर, ऊपरी सिरा मोड़कर C पर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42]
8. पट्टी Close बटन की कैप के नीचे से घुमाइए, फिर **D** पिंक सील के ऊपर, सीरियल नंबर दिखता रहे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 42; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]

चित्र "दोहराइए: मॉक पोल के बाद सील", पेज "मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट सील कीजिए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# बैलेट यूनिट मतदान प्रकोष्ठ में रखिए

- दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में: पहले में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- प्रकोष्ठ मतदान अधिकारी की मेज़ से, जहाँ से कंट्रोल यूनिट चलेगी, काफ़ी दूरी पर हों। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]
- बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच की केबल पाँच मीटर लंबी है; प्रकोष्ठ इसी को ध्यान में रखकर बनाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]
- केबल ऐसे लगाइए कि मतदाता को उस पर चलना न पड़े। दोनों तरफ़ मेज़ की टाँग से बाँध सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]
- दोनों पदों की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी एक ही है। वह मतदान अधिकारी के पास बैठेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- इसके बाद मशीन असली मतदान के लिए हर तरह से तैयार है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]

# मतदान शुरू कीजिए, मतदाता को मशीन तक भेजिए

- कंट्रोल यूनिट स्विच ऑन कीजिए। TOTAL दबाकर पक्का कीजिए कि कुल मतदाता शून्य दिख रहे हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]
- मतदान तय समय पर शुरू कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]
- स्याही, प्रविष्टि और हस्ताक्षर या अंगूठे के बाद दूसरा सहायक मतदान अधिकारी दो पर्ची बनाता है: ज़िला परिषद की पीली, पंचायत समिति की नीली। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]
- फिर वह मतदाता को तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजता है, जो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]
- तीसरा सहायक मतदान अधिकारी सिर्फ़ इन्हीं पीली और नीली पर्चियों के आधार पर मतदाता को मतदान कक्ष में जाने देगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- पर्ची लेकर वह उँगली की अमिट स्याही जाँचेगा। साफ़ न दिखे या मिटा दी गई हो, तो फिर से ऐसे लगेगी कि साफ़ निशान बने। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]

# पर्चियाँ रखिए, रजिस्टर वाला क्रम न तोड़िए

- मतदाता पर्ची लेकर आए, तो पर्ची उससे ले ली जाएगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]
- तीसरा सहायक मतदान अधिकारी दोनों रंग की पर्चियाँ अपने पास अलग-अलग इकट्ठी करता जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- मतदाता उसी क्रम में वोट डालें जिस क्रम में रजिस्टर में दर्ज हुए; मार्गदर्शिका इसे अति आवश्यक कहती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]
- पर्ची पर लिखी क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]
- किसी अपरिहार्य कारण से क्रम न निभे, तो रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम में लिखिए कि उसने किस क्रम पर वोट डाला; बाद वालों के आगे भी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]

# वोट डलवाइए: बत्तियाँ और बीप पहचानिए

| कौन क्या दबाता है | मशीन क्या करती है | स्रोत |
|---|---|---|
| कंट्रोल यूनिट का BALLOT बटन | कंट्रोल यूनिट पर Busy लैम्प लाल, बैलेट यूनिट पर Ready लैम्प हरा: मतदाता अब वोट डाल सकता है | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44 |
| पहली बैलेट यूनिट (ज़िला परिषद सदस्य, पहले प्रकोष्ठ में) पर उम्मीदवार या नोटा के सामने का बटन | उसके सामने की बत्ती लाल, बैलेट यूनिट की हरी बत्ती बंद, छोटी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97 |
| दूसरी बैलेट यूनिट (पंचायत समिति सदस्य, दूसरे प्रकोष्ठ में) पर बटन | बत्ती लाल, लम्बी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद, साथ में कंट्रोल यूनिट की Busy बत्ती भी बंद | ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97 |

- एक समय में मतदान कक्ष में एक ही मतदाता। BALLOT तभी दबाइए जब पहले वाला मतदाता वोट पूरा करके बाहर आ जाए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]
- बत्तियाँ बंद होने और लम्बी बीप ख़त्म होने से पता चलता है कि वोट दर्ज हो गया; मशीन अगला वोट लेने को तैयार है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44]

# TOTAL से गिनती मिलाते रहिए

- पहले या दूसरे मतदाता का वोट पूरा होते ही TOTAL दबाकर कुल मतदाता जाँच लीजिए; मार्गदर्शिका इसे चेतावनी के रूप में लिखती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44]
- मतदान के बीच कभी भी TOTAL दबाकर देखिए कि कितने वोट पड़े, और रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]
- TOTAL तभी दबाइए जब Busy बत्ती बंद हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]
- डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु 16 के लिए सुबह 10.00, 1.00, 3.00 बजे और मतदान ख़त्म होने पर दर्ज वोट देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]
- आख़िर में रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या, कंट्रोल यूनिट की कुल मतदाता संख्या से मिला लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44]
- बीप बज रही हो, तब कंट्रोल यूनिट स्विच ऑफ़ न कीजिए। बिना ज़रूरत Close बटन की कैप न खोलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44]

# निविदत्त मतपत्र से वोट दिलाइए

- किसी के नाम से पहले ही वोट पड़ चुका हो और असली मतदाता की पहचान से आप संतुष्ट हों, तो उसे मशीन पर नहीं, निविदत्त मतपत्र से वोट दिलाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]
- हर चुनाव के लिए अलग लिफ़ाफ़ा, सूची (प्ररूप 13) अलग लिफ़ाफ़े में, और चिन्हित प्रति में 'टी'। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]
- निविदत्त मतपत्र उसी डिज़ाइन का होगा जो बैलेट यूनिट पर दिखाने के लिए तय मतपत्र का है। [आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91]
- मतपत्र के पीछे मतदान अधिकारी 'निविदत्त मतपत्र' की मोहर लगाएगा; मोहर न हो, तो ये शब्द हाथ से लिखेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281]
- नीचे मतदान अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281]
- मतदाता को देने से पहले मतपत्र के पीछे अपने बूथ के सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर भी लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92]

# दोहराइए: मतदान का दिन, मशीन पर

1. **बैलेट यूनिट** अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में: पहले में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की; प्रकोष्ठ मतदान अधिकारी की मेज़ से काफ़ी दूरी पर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]

2. केबल पाँच मीटर लंबी; ऐसे लगाइए कि मतदाताओं को उस पर चलना न पड़े। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]

3. **शुरू**: कंट्रोल यूनिट ON, TOTAL दबाकर कुल मतदाता शून्य, मतदान तय समय पर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43]

4. पीली और नीली पर्ची [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]; तीसरा सहायक मतदान अधिकारी पर्ची लेकर स्याही जाँचता है [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29], और रजिस्टर वाले क्रम से ही आगे भेजता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]

5. **BALLOT** तभी, जब पहले वाला मतदाता बाहर आ जाए; कक्ष में एक समय में एक ही मतदाता। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]

6. पहली बैलेट यूनिट पर छोटी बीप, दूसरी पर लम्बी बीप, फिर Busy बंद। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97]

7. पहले या दूसरे मतदाता के बाद **TOTAL** से गिनती जाँचिए; TOTAL तभी, जब Busy बत्ती बंद हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30]

8. **निविदत्त मतपत्र**: पीछे 'निविदत्त मतपत्र' की मोहर (न हो तो हाथ से) और हस्ताक्षर, साथ में बूथ के सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92]

चित्र "दोहराइए: मतदान का दिन, मशीन पर", पेज "बैलेट यूनिट रखिए और मतदान कराइए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# मशीन में ख़राबी दिखे तो

- फ़ील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 309]
- मशीन का प्लास्टिक केबिनेट फ़ील्ड में खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 309]
- मशीन का कोई भी भाग फ़ील्ड में बदलना पूरी तरह मना है। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 309]
- मतदान से पहले या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाए, तो उसकी लिखित सूचना उम्मीदवारों को भी दी जाए। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना ज़िला स्तर के मुख्यालय पर ही होगी। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315]
- मतदान के बाद मशीनें निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से ज़िला मुख्यालय पर मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएँगी। [आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315]

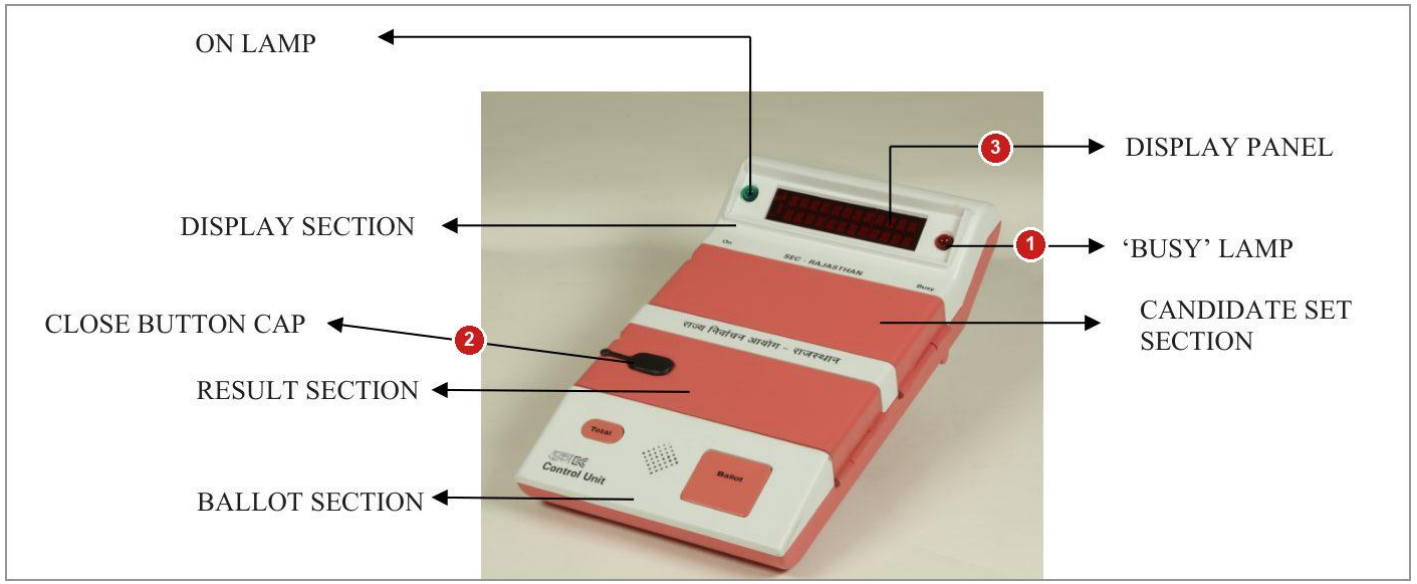
# मतदान बंद कीजिए: लाइन में खड़े मतदाता

- मतदान अधिकारी नियम 58 के तहत तय समय पर मतदान बंद करेगा; उसके बाद किसी मतदाता को बूथ में आने नहीं देगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- तय समय से कुछ मिनट पहले घोषणा कीजिए कि बूथ की सीमा में इंतज़ार कर रहे सब लोग बारी-बारी से वोट डालेंगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- ऐसे हर मतदाता को आपके पूरे हस्ताक्षर और क्रम संख्या वाली पर्ची दीजिए: लाइन के आख़िरी छोर से, एक से शुरू करके। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- पुलिस या कर्मचारियों से कहिए कि मतदान का समय ख़त्म होने के बाद कोई और लाइन में न जुड़े। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- तय समय के बाद भी मतदान तब तक चलने दीजिए जब तक ऐसे सब मतदाता वोट न डाल दें। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- फिर मतदान ख़त्म होने की विधिवत घोषणा कीजिए। इसके बाद किसी भी हालत में किसी को वोट न डालने दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

# Close बटन दबाइए

- Close एक बार दब गया, तो मशीन कोई और वोट नहीं लेगी। पहले पक्का कीजिए कि तय समय पर मौजूद कोई मतदाता रह न गया हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- लाइन के सब मतदाताओं के वोट डालने के बाद मशीन बंद करनी है, ताकि आगे कोई वोट न पड़ सके। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- CLOSE बटन की प्लास्टिक या रबर की कैप हटाइए और CLOSE दबाइए। Close तभी काम करता है जब Busy लैम्प बंद हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- डिस्प्ले पर मतदान के अंत तक दर्ज कुल वोट आएँगे। यह संख्या तुरंत प्ररूप-14 के भाग । में लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]
- CLOSE बटन पर कैप वापस लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- कुल दर्ज वोट TOTAL बटन दबाकर भी पता किए जाते हैं; ज़रूरत हो तो यह बटन फिर दबाया जा सकता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]

# कंट्रोल यूनिट: Close बटन, Busy बत्ती और डिस्प्ले कहाँ हैं




मूल: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 8 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. 'BUSY' LAMP: Close तभी काम करता है जब Busy लैम्प बंद हो। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
2. CLOSE BUTTON CAP: CLOSE बटन की प्लास्टिक या रबर की कैप हटाइए और CLOSE दबाइए; बाद में कैप वापस लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
3. DISPLAY PANEL: यहाँ मतदान के अंत तक दर्ज वोटों की कुल संख्या आएगी; इसे तुरंत प्ररूप-14 के भाग I में लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

# Busy बत्ती जली रह जाए, और प्ररूप-14 का लेखा

- आख़िरी वोट के बाद भूल से BALLOT दब जाए, या आख़िरी मतदाता BALLOT के बाद वोट से मना कर दे, तो Busy बत्ती जली रह सकती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- तब कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से अलग करके Busy बत्ती बंद की जा सकती है। अलग करने के बाद पावर स्विच फिर चालू कीजिए: Busy बत्ती बुझेगी और Close काम करने लगेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]
- मतदान के बाद मतदान अधिकारी दर्ज वोटों का लेखा प्ररूप-14 के भाग I में तैयार करेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का प्ररूप-14 अलग-अलग बनेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- मशीन के कुल वोट = रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम 1 के कुल मतदाता, घटा वे जिन्हें गोपनीयता भंग करने पर वोट नहीं डालने दिया। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- मतदान ख़त्म होने के समय मौजूद कोई मतदान अभिकर्ता लेखे की प्रति माँगे, तो प्रमाणित करके प्रति दे दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]

# मतदान के बाद मशीन सील कीजिए

- कंट्रोल यूनिट का पीछे का खंड (Rear Compartment) खोलिए और पावर स्विच बंद (OFF) कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]
- इंटरफ़ेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर बैलेट यूनिट अलग कीजिए। फिर पीछे का खंड बंद कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]
- बैलेट यूनिट के ऊपर का एड्रेस टैग सील कीजिए: मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर; उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें तो उनके भी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- दोनों यूनिट अपने-अपने कैरिंग केस में रखिए; केस के दोनों ओर के छेदों से धागा निकालकर एड्रेस टैग के साथ सील कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- ज़िला परिषद वाले बक्सों पर पीला, पंचायत समिति वाले बक्सों पर नीला एड्रेस टैग लगाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114]
- सील करते समय मोमबत्ती की लौ सीधे कैरिंग केस को न छुए, और पिघला मोम मशीन के किसी हिस्से पर न गिरे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

# दोहराइए: मतदान बंद, लेखा और सील (1/2)

1 **लाइन**: तय समय से कुछ मिनट पहले घोषणा; लाइन के आख़िरी छोर से, एक से शुरू करके, आपके हस्ताक्षर और क्रम संख्या वाली पर्चियाँ। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

2 ऐसे सब मतदाता वोट डाल दें, तब मतदान ख़त्म होने की विधिवत घोषणा। इसके बाद किसी को वोट नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

? **Busy बत्ती बंद है?** [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

**हाँ** CLOSE बटन की कैप हटाइए और CLOSE दबाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

**नहीं, जली रह गई** कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से अलग करके पावर स्विच फिर चालू कीजिए: Busy बत्ती बुझ जाएगी और Close बटन काम करने लगेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102]

3 डिस्प्ले पर आई **कुल संख्या** तुरंत प्ररूप-14 के भाग । में लिखिए, फिर CLOSE बटन पर कैप वापस। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

चित्र "दोहराइए: मतदान बंद, लेखा और सील", पेज "मतदान बंद कीजिए और मशीन सील कीजिए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# दोहराइए: मतदान बंद, लेखा और सील (2/2)

4 **मिलान**: मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम 1 में दर्ज कुल मतदाता – गोपनीयता भंग करने पर जिन्हें वोट नहीं डालने दिया = मशीन में दर्ज कुल वोट [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]

5 **प्ररूप-14** हर पद का अलग: ज़िला परिषद सदस्य का PE-54 में, पंचायत समिति सदस्य का PE-53 में, दोनों की अतिरिक्त प्रति PE-52 में। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]

6 **मशीन सील**: पावर स्विच OFF, कुंडी दबाकर बैलेट यूनिट अलग, एड्रेस टैग सील, यूनिट कैरिंग केस में, धागा निकालकर एड्रेस टैग के साथ सील। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]

7 मोमबत्ती की लौ सीधे कैरिंग केस को न छुए, और पिघला मोम मशीन के किसी हिस्से पर न गिरे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

8 मशीन भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

चित्र "दोहराइए: मतदान बंद, लेखा और सील", पेज "मतदान बंद कीजिए और मशीन सील कीजिए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# लिफ़ाफ़े भरिए: ये चपड़ी से सील होंगे

| सीलबंद लिफ़ाफ़ा | लिफ़ाफ़ा नं. |
|---|---|
| इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ | PE-45 (ज़िला परिषद सदस्य, पीली पर्चियाँ) और PE-44 (पंचायत समिति सदस्य, नीली पर्चियाँ) |
| इस्तेमाल हुए निविदत्त मतपत्र | PE-47 (ज़िला परिषद सदस्य) और PE-46 (पंचायत समिति सदस्य) |
| निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-13) | PE-49 (ज़िला परिषद सदस्य) और PE-48 (पंचायत समिति सदस्य) |
| बिना इस्तेमाल हुए निविदत्त मतपत्र | PE-50 और PE-51 |
| निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (दोनों चुनावों का एक) | PE-42 |
| मतदाताओं का रजिस्टर (दोनों चुनावों का एक) | PE-43 |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92

- दोनों चुनावों के लिए चार तरह के 8 लिफ़ाफ़े परिशिष्ट-12 के अनुसार अलग-अलग सीलबंद; दोनों में एक ही काम आए काग़ज़ों के दो साझा लिफ़ाफ़े: चिन्हित प्रति का PE-42, रजिस्टर का PE-43; ये भी अलग-अलग सीलबंद। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104]
- PE-42 से PE-51 तक के लिफ़ाफ़े चपड़ी से सीलबंद करने हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]

# ये लिफ़ाफ़े सील नहीं होंगे

| बिना सील का लिफ़ाफ़ा | क्या रखना है |
|---|---|
| PE-52 | मतदान अधिकारी की डायरी (दोनों पदों की एक), साथ में दोनों पदों के प्ररूप-14 की दूसरी प्रति |
| PE-54 / PE-53 | प्ररूप-14: ज़िला परिषद सदस्य / पंचायत समिति सदस्य |
| PE-56 / PE-55 | मतदान अधिकारी की घोषणाएँ (मॉक पोल प्रमाण-पत्र साथ में): ज़िला परिषद सदस्य / पंचायत समिति सदस्य |
| P-2 | सांख्यिकी आँकड़े (दोनों पदों का एक) |
| PE-57 | विविध काग़ज़ात (दोनों पदों का एक) |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105; आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279

- P-2 और PE-52 से PE-57 तक के लिफ़ाफ़े सील नहीं करने हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]
- पिंक पेपर सीलों का अलग लेखा नहीं बनाना; उनका लेखा प्ररूप-14 के भाग-1 के मद 9 में ही लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]
- कोई सूचना शून्य हो, तब भी सब लिफ़ाफ़े तैयार कीजिए, और उनमें संबंधित प्ररूप भरकर रखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
- लिफ़ाफ़ों पर पृष्ठांकन करना न भूलिए, और उसकी प्रविष्टियाँ पूरी लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]

# संग्रहण स्थल पर जमा कीजिए

| काउंटर | क्या जमा होगा |
|---|---|
| 1 (स्ट्रांग रूम) | इस्तेमाल हुई सीलबंद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट; बिना सील के लिफ़ाफ़े PE-53 और PE-54 (प्ररूप-14), PE-55 और PE-56 (घोषणा), PE-52 (डायरी), P-2 (सांख्यिकी)। हर चुनाव का सामान अलग-अलग। |
| 2 | सीलबंद लिफ़ाफ़े PE-42 से PE-51, जिनका एक अलग पैकेट होगा; और बिना सील का PE-57 |
| 3 | बाकी चुनाव सामग्री, जैसे मतदान अधिकारी की पीतल की सील, स्टाम्प पैड और इंक, अमिट स्याही की शीशी, बिना इस्तेमाल हुई मतदान या कंट्रोल यूनिट, डमी बैलेट यूनिट और दी गई बाकी सामग्री |

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109

- बिना समय गँवाए, निर्देश के अनुसार संग्रहण स्थल पहुँचिए। बीच रास्ते में कहीं और न जाइए, और बेवजह न रुकिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
- आम तौर पर तीन काउंटर होंगे; ज़िला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी इनमें थोड़ा फेर-बदल कर सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108]
- सामान अच्छी तरह सँभलवाकर और रसीद लेकर ही काउंटर छोड़िए। मार्गदर्शिका के शब्दों में, इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]

# दोहराइए: लिफ़ाफ़े और जमा

1. **सीलबंद लिफ़ाफ़े** PE-42 से PE-51: चपड़ी से सील। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]
2. **बिना सील**: P-2 और PE-52 से PE-57। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]
3. कोई सूचना शून्य हो, तब भी सब लिफ़ाफ़े तैयार; लिफ़ाफ़ों पर पृष्ठांकन न भूलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]
4. बिना समय गँवाए **संग्रहण स्थल**; बीच रास्ते में कहीं और न जाइए। आम तौर पर वहाँ तीन काउंटर। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108]
5. **काउंटर 1 (स्ट्रांग रूम)**: सीलबंद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट; बिना सील के PE-52, PE-53, PE-54, PE-55, PE-56 और P-2, हर चुनाव का सामान अलग। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
6. **काउंटर 2**: सीलबंद PE-42 से PE-51 का अलग पैकेट, और बिना सील का PE-57। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
7. **काउंटर 3**: बाकी चुनाव सामग्री, जैसे पीतल की सील, स्टाम्प पैड, अमिट स्याही की शीशी, बिना इस्तेमाल हुई मतदान या कंट्रोल यूनिट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
8. सामान अच्छी तरह सँभलवाकर और **रसीद** लेकर ही काउंटर छोड़िए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]

चित्र "दोहराइए: लिफ़ाफ़े और जमा", पेज "लिफ़ाफ़े भरिए और संग्रहण स्थल पर जमा कीजिए" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

# मतदान रोकना पड़े तो

- बूथ पर हिंसा या बलवा हो, तो मतदान स्थगित कीजिए, और रिटर्निंग अधिकारी को पूरी बात तुरंत बताइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114]
- बूथ पर कब्ज़ा हो जाए, तो मतदान बंद कीजिए, और रिटर्निंग अधिकारी को पूरी बात तुरंत बताइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114]
- सामग्री (मशीन, रजिस्टर, चिन्हित प्रति) बिना अधिकार ले जाई जाए, ख़राब की जाए या उसमें गड़बड़ हो: मतदान बंद कीजिए, तुरंत बताइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114]

# पहली ड्यूटी: मतदान के दौरान मतदान अधिकारी

- तय समय पर मतदान शुरू कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 ज़ोर से पढ़कर गोपनीयता की चेतावनी दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112]
- बूथ के अंदर एक समय में हर उम्मीदवार का एक ही मतदान अभिकर्ता रहने दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112]
- बूथ से सौ मीटर तक चुनाव प्रचार अपराध है। बूथ में धूम्रपान मना है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112]
- मतदाता कक्ष में वोट डाल रहा हो, तब किसी और को वहाँ न जाने दीजिए, और फोटो न लेने दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]
- कोई किसी और के नाम से वोट डालने आए, तो उसे लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंपिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]
- चेतावनी के बाद भी कोई गोपनीयता न माने, तो उसे वोट न देने दीजिए। रजिस्टर में टिप्पणी कीजिए, कॉलम 1 की क्रम संख्या न बदलिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]

# पहली ड्यूटी: ये भी न भूलिए

- मौजूद सब मतदान अभिकर्ताओं को दिखाइए कि मशीन में कोई डेटा नहीं है और पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112]
- मतदाता चाहें, तो डमी बैलेट यूनिट पर वोट डालने का तरीक़ा दिखाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]
- मतदाता 18 साल से काफ़ी छोटा लगे पर उसकी पहचान से आप संतुष्ट हों, तो उससे उम्र की घोषणा (परिशिष्ट-10) लीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12]
- जब भी कुछ घटे, उसी समय मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में लिखिए। दोनों चुनावों की एक ही डायरी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12]
- सील की हुई मशीन और सारे कागज़ात सौंपकर उचित रसीद लेना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। चेक मेमो (परिशिष्ट-15) ख़ुद भरिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13]

# MPSV वाले दिन दल में कितने लोग

- मशीन वाले दिन MPSV मशीन वाले बूथ पर मतदान अधिकारी के साथ 3 सहायक मतदान अधिकारी होते हैं, और M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन वाले बूथ पर 4। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5]

# नीली पर्ची किसे: MPSV वाले बूथ पर

- MPSV वाले बूथ पर दल में तीन ही सहायक मतदान अधिकारी होते हैं; दोनों चुनावों की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी एक ही है, और वही दोनों पर्चियाँ लेता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- यह तीसरा सहायक मतदान अधिकारी है: पीली और नीली, दोनों पर्चियाँ उसी को। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]

# पर्चियाँ कौन लेगा और रखेगा

- MPSV वाले बूथ पर पर्ची तीसरा सहायक मतदान अधिकारी लेता है, जो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है और मतदान अधिकारी के पास ही बैठता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]
- सारी पर्चियाँ सँभालकर रखी जाएँगी और मतदान के अंत में अलग कवर में सील होंगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]

# काग़ज़ों के पैकेट: कौन-से सील होंगे

- कौन-से पैकेट सील होंगे और कौन-से नहीं, यह सामान जमा वाले अध्याय की सूची में लिखा है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
- पहले काउंटर के लिफ़ाफ़े और PE-57 बिना सील के जमा होते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]
- चपड़ी की सील सिर्फ़ उन्हीं पैकेटों पर, जिन पर लगनी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]

# मतदान बंद होने पर: पहले स्विच बंद, फिर यूनिटें अलग

- मतदान समाप्ति की प्रक्रिया में: पहले कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच बंद (OFF) कीजिए, फिर इंटरफ़ेस केबल की दोनों कुंडी दबाकर बैलेट यूनिट अलग कीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]
- मशीन की निर्देश पुस्तिका में: बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते या अलग करते समय कंट्रोल यूनिट का स्विच हमेशा बंद (OFF) रखिए। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 28]
- यानी पहले पावर स्विच बंद, फिर यूनिटें अलग। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 28; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

# कंट्रोल यूनिट पर स्टीकर

- आयोग का पत्र 1299 (03.02.2026): MPSV की कंट्रोल यूनिट दोनों पदों के लिए काम आए, तो उस पर स्टीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]
- वही आदेश: सिर्फ़ एक पद के लिए काम आए, तो सिंगल पोस्ट मशीन की तरह उस पर भी स्टीकर लगेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]
- दोनों पदों के लिए काम आ रही कंट्रोल यूनिट पर स्टीकर न मिलें, तो इसे कमी न मानिए: आदेश के हिसाब से इसकी ज़रूरत ही नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]

# इन बातों का ध्यान रखिए (1)

- मॉक पोल प्रमाण-पत्र: आदेश और मार्गदर्शिका, दोनों पदों के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र कहते हैं। [आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 280; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]
- विशेष टैग: मतदान अधिकारी हस्ताक्षर करेगा; मौजूद उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, तो हस्ताक्षर कर सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39]
- निविदत्त मतपत्र: मोहर लगानी है, हाथ से तभी लिखना है जब मोहर न हो, और बूथ के सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर भी लगानी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92; आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281]

# इन बातों का ध्यान रखिए (2)

- वोटों के लेखे की प्रति: मार्गदर्शिका में यह प्रति उस अभिकर्ता को दी जाती है जो इसे लेना चाहे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12]
- Close का डिस्प्ले: MPSV का क्रम मार्गदर्शिका में छपे MPSV डिस्प्ले के उदाहरण से लीजिए; यह क्रम मॉक पोल की Close वाली स्लाइड पर है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36]
- मतदान बंद होने पर: उम्मीदवार या अभिकर्ता, चाहें तो, एड्रेस टैग और मोहरबंद किए जा रहे काग़ज़ों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104]
- ऐसे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर घोषणा (परिशिष्ट-7) के भाग-3 में भी लिए जाएँगे; जो मना करें, उनके नाम भी उसी में लिखे जाएँगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104]

# स्रोत

- आदेश 49, दि. 01.01.2026
- आदेश 710, दि. 20.01.2026
- आदेश 1024, दि. 27.01.2026
- आदेश 1134, दि. 29.01.2026
- आदेश 1161, दि. 30.01.2026
- आदेश 1408, दि. 04.02.2026
- आदेश 2235, दि. 25.06.2019
- आदेश 5096, दि. 26.12.2025
- आदेश 5101, दि. 26.12.2025
- आदेश 5310, दि. 30.07.2026
- आदेश 5468, दि. 04.08.2026
- आदेश 6318, दि. 18.12.2009
- आदेश 9508, दि. 28.09.2026
- आदेश 9809, दि. 02.10.2026
- आदेश 9836, दि. 03.10.2026
- आदेश 10090, दि. 06.10.2026
- आदेश 10144, दि. 07.10.2026
- ईवीएम मार्गदर्शिका
- पत्र 1299, दि. 03.02.2026
- मतपेटी मार्गदर्शिका
- MPSV अनुदेश पुस्तिका

सावधान: यह राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं है; न आयोग ने इसे बनाया या जारी किया है, न यह सरकारी तौर पर तैयार हुआ है। यह सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री है। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

मिलान के लिए काम में ली गई प्रशिक्षण प्रस्तुति, साभार: मनीष कुमार गोयल, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMT), जयपुर। स्लाइडों की हर बात मार्गदर्शिका, MPSV अनुदेश पुस्तिका या आयोग के आदेश से है।